UPMZ010011552026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

पीठासीन अधिकारी-(बीरेन्द्र कुमार सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा)- यू.पी.05746

दाण्डिक निगरानी संख्या - 30 सन् 2026

चन्द्रमोहन पुत्र स्व0 गजेन्द्र प्रसाद, निवासी परमधाम शुक्रताल, थाना भोपा, जिला मुजफ्फरनगर हाल निवासी सेरा गाँव सहस्त्रधारा देहरादून(उत्तराखण्ड)

-पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1- संजय कुमार पुत्र स्व0 रामअवतार, निवासी मकान नं. 71, मौहल्ला छिम्पीवाड़ा, थाना कोतवाली नगर, जिला मेरठ।

2- अजय सेमवाल पुत्र स्व0 चन्द्रमोहन, निवासी पेंसिल फैक्टरी रोड़, ग्राम सिताबपुर, थाना कोटद्वार, जिला पौढी गढवाल (उत्तराखण्ड),

3- उ.प्र. राज्य (द्वारा डी.जी.सी. दाण्डिक), मुजफ्फरनगर

- प्रत्यर्थीगण

निर्णय

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर द्वारा दाण्डिक वाद सं. 2100085 सन् 2008 सरकार बनाम चन्द्रमोहन के मामले में दिनांक 20.01.2026 को पारित निर्णय से क्षुब्ध होकर, उक्त मामले के अभियुक्त चन्द्रमोहन की ओर से संस्थित की गयी है, जिसके तहत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त चन्द्रमोहन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.11.2018 को निरस्त करते हुए पत्रावली को वास्ते हाजरी/सत्र सुपुर्दगी हेतु नियत करते हुए अभियुक्त को नियत दिनांक को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया है।

दिनांक-01.06.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.01 16:42:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. संक्षेप में निगरानी के कथन इस प्रकार से है कि-

क- वादी चन्द्रमोहन/निगरानीकर्ता स्वयं की ओर से दिनांक 25.10.2005 को थानाध्यक्ष भोपा के समक्ष इस आशय की मूल तहरीर प्रस्तुत की गयी कि आज दिनांक 25.10.2005 समय सुबह 04.00 बजे वादी/निगरानीकर्ता अपनी पत्नी श्रीमती अंजनी बूढ़ाकोटी, जो "परमसच" की संपादक भी थी एवं एक शिष्य रामअवतार के साथ शुक्रताल परमधाम से कोटद्वार जा रहे थे। परमधाम से करीब 200 मीटर की दूरी पर आने पर एक लाल रंग की मोटरसाईकिल पर तीन व्यक्ति जिनमें दो पुलिस की वर्दी में थे और एक कुर्ता पैजामा पहने था, ने टार्च दिखाकर उसकी गाड़ी को रोका और कहा 'चन्द्रमोहन'/ इतने में रामअवतार जो उसके साथ वाली सीट पर बैठे थे ने खिड़की खोलकर कहा बोलिये, उनके इतने कहते ही उन लोगों ने अंधाधुंध गोलियाँ बरसा दी जिसमें पिछली सीट पर बैठी उसकी पत्नी एवं रामअवतार दोनों को ही गोलियाँ लगी तथा एक गोली उसके कान को छूती हुई निकल गयी जिससे उसकी जान बच गयी। यह भी कहा गया गोलियों की आवाज सुनकर परमधाम से उसके शिष्य धीर सिंह, वीरेन्द्र सहरावत, रामकुमार, ब्रजमोहन आये और गाड़ी की तरफ भागे जिनको देखकर मुल्जिमान यह कहकर भागे कि एक बच गया भाग लो उसके बाद सभी मिलकर घायलों को लेकर जिला अस्पताल मुजफ्फरनगर में सुबह 05.00 बजे पहुँचे जहाँ डाक्टरों ने दोनों घायलों को मृत घोषित कर दिया। इस प्रकार उक्त मूल तहरीर के आधार पर दिनांक 25.10.2005 समय 05.45 ए.एम. पर तीन अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध संख्या 317 सन् 2005 धारा 302, 307 भा.दं.संहिता पंजीकृत हुआ।

ख- बाद विवेचना पुलिस थाना भोपा द्वारा निगरानीकर्ता/वादी के विरूद्ध ही आरोप पत्र सं. 377 सन् 2005 दिनांकित 14.12.2007 अंतर्गत धारा 302 भा.दं.संहिता विचारण हेतु प्रेषित किया गया जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 10.01.2008 को प्रसंज्ञान लिया गया।

ग- इसी प्रकार विवेचना के दौरान ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 31.01.2006 को अपर निदेशक एवं राज्य चिकित्सा विधि विशेषज्ञ लखनऊ से मामले में कथित चोट किस आग्नेयास्त्र की है? और कितनी दूरी से चलायी गयी है?, प्रत्येक चोट की दूरी? शस्त्रों की संख्या? मृत्यु का समय? एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट, घटनास्थल तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विसंगति? के संबंध में अपनी विधिक वैज्ञानिक

आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु पत्र संख्या रीडर/2006 कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भेजा गया।

घ- निगरानीकर्ता/अभियुक्त/वादी चन्द्रमोहन की ओर से एक प्रार्थना पत्र धारा 173(8) दं.प्र.संहिता जरीये विद्वान अधिवक्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित अपने **आदेश 12.10.2009** उक्त प्रार्थना पत्र धारा 173(8) दं.प्र.संहिता निरस्त करते हुए अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देते हुए यह अवधारित किया है कि "प्रस्तुत प्रकरण में विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसज्ञान लिया जा चुका है और प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा अग्रिम विवेचना कराये जाने हेतु आदेशित किया गया था जिस पर प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय के आदेश 01.03.2008 के अनुपालन में अग्रिम विवेचना किया गया है और विवेचक द्वारा पूरक केस डायरी भी न्यायालय में प्रेषित की गयी है।"

च- विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित उक्त आदेश 12.10.2009 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/वादी/अभियुक्त की ओर से माननीय उच्च न्यायालय में याचिका संख्या 376 सन् 2010 चन्द्रमोहन बनाम उ.प्र. राज्य योजित की गयी जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2018 को पारित आदेश के अनुसार उक्त याचिका निस्तारित करते हुए यह अवधारित किया गया है कि *"In view of the aforesaid, I am of the considered view that finding of the rejection of the application under Section 173(8) Cr.P.C. is not sustainable In the eye of law. Accordingly, the impugned order dated 12.10.2009 is set aside with a direction to C.J.M. Muzaffarnagar to pass a fresh order expeditiously considering the facts as above observed of the case and after giving an opportunity of hearing to both the parties. No coercive action shall be taken against the petitioner till final disposal of the application under Section 173(8) Cr.P.C."*

छ- माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 31.01.2018 के अनुपालन में चन्द्रमोहन की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.02.2018 मय शपथ पत्र मामले की माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनः अग्रिम विवेचना करने के लिये प्रस्तुत किया गया जिस पर बाद सुनवाई विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 31.03.2018 को पारित आदेश के अनुसार प्रार्थना पत्र <u>**दिनांकित 22.07.2015**</u> अंतर्गत धारा 173(8)

दिनांक-01.06.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

दं.प्र.संहिता स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी भोपा को आदेशित किया गया कि वह इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में किये गये प्रेक्षण के अनुरूप अग्रिम विवेचना कर आख्या प्रस्तुत करें।

ज- विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश 31.03.2018 के उपरांत मामले में दिनांक 31.07.2018 को यह आदेश पारित किया कि 'मामले में धारा 173(8) दं.प्र.संहिता के अंतर्गत अग्रिम विवेचना होकर 'तितिमा अभियोग दैनिकी' प्राप्त हुई, किंतु चूंकि प्रस्तुत मामले में दिनांक 09.01.2008 को संज्ञान लिया जा चुका है और जिसे किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, इसलिए अभियुक्त जरीये समन तलब हो।

झ- जिसके पश्चात् निगरानीकर्ता/वादी/अभियक्त चन्द्रमोहन की ओर से पारित उक्त आदेश दिनांकित 31.07.2018 के विरूद्ध दाण्डिक निगरानी सं. 264 सन् 2018 योजित की जिस पर उभयपक्षों के सुनने के उपरांत विद्वान द्वादश, अपर सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 24.10.2018 को पारित निर्णय में निगरानी स्वीकार करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांकित 31.07.2018 को अपास्त किया तथा पत्रावली को विद्वान अवर न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि वह उपरोक्त निगरानी में किये गये अवलोकन को दृष्टिगत रख पक्षकारों को पुनः गुण दोष के आधार पर सुनकर नये सिरे से आदेश पारित करे। निगरानी न्यायालय द्वारा अपने निर्णय की धारा 12 में यह अवधारित किया गया है कि अवर न्यायालय ने तितिमा अभियोग दैनिकी पर कोई मत व्यक्त नहीं किया है और मात्र इस आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित किया है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 09.01.2008 को संज्ञान लिया जा चुका है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका सं. 376 सन् 2010 चन्द्रमोहन बनाम सरकार में पारित आदेश 31.01.2018 में उपरोक्त आधार पर विचारण किया जा चुका है तथा उपरोक्त आधार को निरस्त किया जा चुका है एवं विद्वान अवर न्यायालय ने उक्त आदेश का अवलोकन न करके कि दिनांक 31.01.2008 के उपरांत वर्तमान प्रकरण में नवीन स्थिति क्या हुई, विचार नहीं किया है।

ट- जिसके अनुक्रम में निगरानीकर्ता/वादी/अभियुक्त चन्द्रमोहन के द्वारा विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर के न्यायालय में दिनांक 05.11.2018 को

दिनांक-01.06.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए समस्त न्यायिक प्रक्रियाओं और आदेशों के दृष्टिगत मुकदमा हाजा की कार्यवाही खत्म करते हुए पत्रावली दाखिल दफ्तर किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन की आपत्ति आमंत्रित की गयी और उक्त आदेश के अनुक्रम में विद्वान ए.पी.ओ. द्वारा दिनांक 06.02.2019 को अपनी रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए मुख्य रूप से यह कहा है कि अभियुक्त चन्द्रमोहन के विरूद्ध केस डायरी में साक्ष्य संलग्न है और प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध है जिसके उपरांत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 28.08.2023 को मामले में पीड़ित पक्ष को भी सुने जाने का आदेश पारित करते हुए पीड़ित पक्ष/मृतक दोनो परिवारजनों को सुने जाने हेतु नोटिस जारी किये गये।

ठ- उक्त आदेश दिनांकित 28.08.2023 के अनुपालन में पीड़ित पक्ष/प्रार्थीगण **संजय** पुत्र स्व0 रामअवतार एवं **अजय सेमवाल** पुत्र स्व0 चन्द्रमोहन के द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.09.2023 मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए "विवेचना के आधार पर परिणाम को अन्तिम मानकर उसके आधार पर प्रार्थीगण की स्वीकृति व आधार पर वर्तमान मामले का निस्तारण करते हुए समुचित आदेश निर्गत किये जाने की प्रार्थना की गयी।" जिसके उपरांत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर के न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के उपरांत दिनांक 20.01.2026 को आदेश पारित करते हुए अभियुक्त/निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.11.2018 निरस्त करते हुए पत्रावली को वास्ते हाजिरी/सत्र सुपुर्दगी हेतु नियत किया और अभियुक्त को नियत दिनांक के लिये व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने हेतु आदेशित किया, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से वर्तमान दाण्डिक निगरानी दिनांक 30.01.2026 को संस्थित की गयी है।

3. निगरानी का यह आधार लिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दाण्डिक निगरानी सं. 264/2018 में पारित निर्णय दिनांकित 24.10.2018 में दिये गये निर्देशों का पालन किसी भी प्रकार से नहीं किया और सरसरी तौर पर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 09.01.2008 के आधार पर प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया। जबकि उक्त निगरानी में पारित आदेश के पैरा 13 में दिये गये निर्देशों के अनुसार मृतक पक्ष के उत्तराधिकारियों को नोटिस विवेचक द्वारा अग्रिम विवेचना में यह पाये जाने पर कि निगरानीकर्ता के विरूद्ध कोई अपराध किसी प्रकार का नहीं बनता एवं इसके अतिरिक्त दिनांक

दिनांक-01.06.2026 **(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

09.01.2008 को जिस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था उसके दर्शित समस्त गवाहान की मृत्यु हो चुकी है और कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, की सर्वथा अनदेखी की है। इस तथ्य की भी अनदेखी की गयी है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.10.2009 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दाण्डिक विधिक रिट याचिका सं. 376 सन् 2010 दिनांकित 31.01.2018 के अनुसार अपास्त कर दिया गया है।

यह भी आधार लिया गया है कि दिनांक 12.10.2009 के निष्कर्ष में अन्य कारणों के अतिरिक्त संज्ञान का बिन्दु भी समावेषित किया गया था और आदेश दिनांकित 12.10.2009 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा चुका है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त विषय के संयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि संज्ञान का विषय भी दिनांक 31.01.2018 को अभिनिर्णित माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय में समावेशी है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों व प्रस्तुत मामले में मृतक के उत्तराधिकारियों द्वारा इस आशय से शपथ पत्र व प्रार्थना पत्र कि वे प्रस्तुत मामले में किसी प्रकार की कोई कोर्यवाही नहीं करना चाहते हैं, की सर्वथा अनदेखी करते हुए आदेश दिनांकित 20.01.2026 पारित किया गया है। संज्ञान से वस्तुतः यह अभिप्रेत है कि मामले के बारे में सक्षम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्णित करे कि वस्तुतः मामले को चलाये जाने हेतु कोई सम्यक आधार है या नहीं परंतु आलोच्य आदेश में संज्ञान की कोई विस्तृत आख्या न करके अत्यंत संकीर्णता से बगैर विधिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आदेश पारित किया गया है। अंत में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026 को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

समर्थन में निर्णित वाद सोनू एवं पांच अन्य बनाम स्टेट आफ यू.पी. एवं अन्य दाण्डिक अपील सं. 10405 सन् 2024 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, अन्य निर्णित वाद विनय त्यागी बनाम इरशाद अली उर्फ दीपक एवं अन्य (2013) सुप्रीम कोर्ट केस(दाण्डिक) 557 (2013) 5 सुप्रीम कोर्ट केस 762 में प्रतिपादित सिद्धांतो का उल्लेख करते हुए शपथ पत्र चन्द्रमोहन पुत्र गजेन्द्र प्रसाद, प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 5ख, आरोप पत्र दिनांकित 14.12.2007 की सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 5ख/5, विद्वान अवर न्यायालय में पीड़ित पक्ष द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र 16.09.2023 की सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 5ख/7, शपथ पत्र संजय पुत्र स्व0 रामअवतार की सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 5ख/10, शपथ पत्रर अजय सेमवाल पुत्र चन्द्रमोहन की

सत्यप्रतिलिपि कागज सं. 5 ख/13, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश 09.01.2008 की छायाप्रति कागज सं. 5 ख/25, विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 20.01.2026 की सत्यप्रतिलिपि कागज सं 6 ख/2 दाखिल किये गये हैं।

4. विद्वान डी.जी.सी. फौजदारी की ओर से दौराने तर्क यह कहा गया है कि मामले में प्रस्तुत आरोप पत्र, पूरक आरोप पत्र दोनों के संबंध में एक साथ आगे आदेश पारित करने का उपबंध है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत् ढंग से पारित किया गया है।

5. निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान डी.जी.सी. फौजदारी के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. स्वीकृत रूप से थाना भोपा से संबंधित अपराध सं. 317 सन् 2005 धारा 302, 307 भा.दं.सं. के मामले में बाद विवेचना वादी चन्द्रमोहन के विरूद्ध ही आरोप पत्र संख्या 290 सन् 2007, अंतर्गत धारा 302, 307 भा.दं.संहिता विचारण हेतु प्रेषित की गयी जिस पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 09.01.2008 को प्रसंज्ञान लिया गया।

इसी प्रकार मामले में पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 21.01.2006 को अपर निदेशक एवं राज्य चिकित्सा लखनऊ को भेजे गये पत्र एवं विवेचक द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(8) दं.प्र.संहिता प्रस्तुत की गयी, जो तत्कालीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 01.03.2008 को स्वीकार करते हुए विवेचक को अग्रिम विवेचना की अनुमति प्रदान की गयी **जिसमें पूर्व विवेचना में कोई विसंगति न पाते हुए आरोप पत्र की पुष्टि की गयी थी।** जिसके उपरांत पुनः व्यथित होकर अभियुक्त की ओर से अग्रिम विवेचना का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 12.10.2009 को निरस्त कर दिया गया।

इसके अलावा यह भी स्पष्ट होता है कि दिनांक 12.10.2009 के आदेश के विरूद्ध संस्थित याचिका सं. 376 सन् 2010 चन्द्रमोहन बनाम स्टेट, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31.01.2018 को स्वीकार करते हुए उक्त आदेश 12.10.2009 निरस्त कर दिया गया और विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पुनः प्रार्थना पत्र धारा

173(8) दं.प्र.संहिता पर विधिनुसार आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया जिस पर बाद सुनवाई विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दिनांक 31.03.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 173(8) दं.प्र.संहिता स्वीकार करते हुए थाना प्रभारी भोपा को मामले में अग्रिम विवेचना माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रेक्षण के अधीन किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसके अनुक्रम में पूरक केस डायरी दिनांक 14.04.2018 से शुरू की गयी तथा गवाह यशवेन्द्र, कुंवरपाल, मंजू आदि का बयान अंकित करते हुए यह पाया गया कि अंतिम पर्चा 21.07.2018 में विवेचना समाप्त करते हुए यह कहा गया "वर्तमान में विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य में अभियुक्त चन्द्रमोहन के विरूद्ध अब कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पूर्व के गवाह लक्ष्मीचंद, राजपाल सिंह की मृत्यु हो चुकी है तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं धारा 161 दं.प्र.संहिता के बयानों में ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी जिससे मृतका व मृतक रामअवतार की हत्या में अभियुक्त चन्द्रमोहन शामिल रहा हो, लेकिन पूर्व विवेचक द्वारा अभियुक्त चन्द्रमोहन के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है और उस पर संज्ञान भी हो चुका है तदनुसार केस डायरी समायोजित किये जाने की याचना की गयी है।"

किंतु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पूर्व प्रेषित आरोप पत्र के उपरांत प्रस्तुत तितिमा विवेचना केस डायरी में संकलित साक्ष्यों दोनों को एक साथ संज्ञान में न लेते हुए दिनांक 31.07.2018 को आदेश पारित कर दिया कि अग्रिम विवेचना तितिमा अभियोग दैनिकी शामिल पत्रावली हो और चूंकि मामले में दिनांक 09.01.2008 को संज्ञान लिया जा चुका है तथा उसे किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, इसलिए अभियुक्तगण के विरूद्ध समन जारी करने का आदेश पारित किया जाता है।

इसके अलावा समन जारी किये जाने संबंधी उक्त आदेश दिनांकित 31.07.2018 के विरूद्ध संस्थित निगरानी 264 सन् 2018 दिनांक 24.10.2018 को स्वीकार की गयी और यह अवधारित किया गया कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तितिमा अभियोग दैनिकी के संबंध में वादी को कोई नोटिस जारी नहीं की गयी और न ही यह अवधारित किया है कि उक्त तितिमा दैनिकी निरस्त किये जाने योग्य है।

इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट होता है कि निगरानीकर्ता/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.11.2018 पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा

दिनांक 28.08.2023 को पीड़ित और मृतक दोनों ही परिवारजनों को नोटिस जारी की गयी जिसके अनुपालन में संजय और अजय सेमवाल की ओर से प्रार्थना पत्र दिनांकित 16.09.2023, शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उनके द्वारा मामले में तितिमा केस डायरी के साक्ष्य समर्थन में अंकित परिणाम को अंतिम मानकर समुचित आदेश पारित करने की याचना की गयी है और यह भी कहा गया है कि मृतका अंजनी व रामअवतार की हत्या में चन्द्रमोहन की संलिप्तता किसी भी प्रकार की नहीं रही है और वे चन्द्रमोहन के विरूद्ध कोई कार्यवाही किसी भी प्रकार की करने के या वाद चलाने के इच्छुक नहीं हैं। किंतु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा तितिमा केस डायरी दिनांकित 21.07.2018 में संकलित साक्ष्य एवं आदेश दिनांकित 28.08.2023 के अनुसार पीड़ित/मृतक को जारी नोटिस के जवाब में संजय और अजय सेमवाल के कथनों एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया गया है, बल्कि निर्णित वाद (2013) 5 एस.सी.सी. पेज 762 में प्रतिपादित सिद्धांतो का उद्धरण देते हुए यह अवधारित करते हुए कि 'अभियुक्त के विरूद्ध संज्ञान लिया जा चुका है जो अन्ययतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है और मजिस्ट्रेट न्यायालय को अपराध का प्रसंज्ञान लेकर व अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के उपरांत प्रकरण को सत्र न्यायालय को सुपुर्द करना होता है तथा अभियुक्त के विरूद्ध मामला बन रहा है या नहीं या वह दोषी है या निर्दोष इसके श्रवण का क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को ही प्राप्त है।'

जबकि उक्त उद्धृत निर्णित वाद के तथ्य प्रस्तुत वाद के तथ्य से भिन्न हैं क्योंकि प्रस्तुत मामले में प्रस्तुत आरोप पत्र के उपरांत अग्रिम विवेचना करायी गयी है और अग्रिम विवेचना में संकलित साक्ष्यों के आधार पर मामले में अंतिम रिपोर्ट के लिये निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा निगरानी निर्णय दिनांकित 24.10.2018 के अनुपालन में पीड़ित/मृतक परिवार को नोटिस निर्गत की गयी है और उनका जवाब भी पत्रावली पर बतौर संलग्नक संलग्न है जिस पर प्रश्नगत आदेश में कोई विचार नहीं किया गया है, जो कि विधिसम्मत् होना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि निर्णित वाद सोनू व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य सी.आर.एल.ए. सं. 10405 सन् 2024 के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2026, में अन्य निर्णित वाद विनय त्यागी बनाम इर्शाद अली उर्फ दीपक (2013) 5 एस.सी.सी. पेज 762 का अवलंबन लेते हुए माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि *"As discussed above, a "supplementary report" is essentially the same as a "primary report" and a Magistrate must treat it as*

दिनांक-01.06.2026

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

part of the primary report. However, a dilemma arises particularly in those situations where a Magistrate has already taken cognizance based on an earlier "primary report" disclosing the commission of an offence, but the investigating officer thereafter submits a supplemenatary report in the form of a closure report (commonly termed a "Type B report"). A Magistrate is faced with a question; whether he is empowered to pass any order on the Final Report particularly if he had already taken cognizance of offence after submission of earlier police report (primary report). This dilemma occurs due to two reasons. ***First*** *one is, once a court has passed an order, either way, it cannot review its own order.* ***Second*** *is, existence of a perception that once a Magistrate has passed an order of taking cognizance upon charge sheet, then he is not required to pass any order upon any further supplementary report (Final Report). But, both logics are against the canon of law."*

माननीय न्यायालय ने आगे यह भी अवधारित किया है कि *"Therefore, it becomes abundantly clear that if a Magistrate has taken cognizance of an offence and, thereafter, the Investigating Officer submits a Final Report (closure report) stating that no case is made out, the Magistrate cannot ignore that report. He is legally bound to consider the Final Report and pass an appropriate order on it. He may accept it, reject it, or taken cognizance despite it but he must apply his judicial mind to the report. If the Magistrate proceeds further in the case without considering the Final Report at all, such inaction amounts to a procedural illegality."*

इसी क्रम में आगे यह भी अवधारित किया है कि *"If a Magistrate, after applying his judicial mind to the supplementary report, arrives at a conclusion contrary to his earlier decision of taking cognizance on the charge sheet (primary report), the recording of such a contrary opinion will not amount to a review or recall of his earlier order."*

इस प्रकार मामले के संपूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों के सम्यक विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस की ओर से प्रेषित प्रथम रिपोर्ट पर ही भरोसा करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जबकि मामले में अग्रिम विवेचना के उपरांत भी पूरक/क्लोजर रिपोर्ट प्राप्त हुई है और उक्त क्लोजर रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित व उसके परिवार वालों को नोटिस भी जारी की गयी है और उनके द्वारा जवाब भी प्राप्त किया गया है, किंतु प्रश्नगत आदेश पारित करते समय पूरक/क्लोजर रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया गया है जो कि विधिसम्मत् होना परिलक्षित नहीं होता। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत आदेश शुद्ध एवं वैध नहीं है और तदनुसार निगरानी स्वीकार करते हुए प्रश्नगत आदेश अपास्त किये जाने योग्य है।

दिनांक-01.06.2026 **(बीरेन्द्र कुमार सिंह)**
सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

आदेश

प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। प्रश्नगत आदेश दिनांकित 20.01.2026 अपास्त किया जाता है। विद्वान अवर न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय में दिये गये प्रेक्षण के अधीन पुलिस की ओर से प्रेषित प्रारंभिक रिपोर्ट एवं अग्रिम विवेचना उपरांत दाखिल पूरक/क्लोजर रिपोर्ट एवं उस पर की गयी कार्यवाही, दोनो पर एक साथ न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए पुनः नये सिरे से आदेश पारित करे।

इस निर्णय की एक प्रति विद्वान अवर न्यायालय के अभिलेख के साथ वापस प्रेषित की जाये तथा दाण्डिक पुनरीक्षण की पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जाये।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
दिनांकः01.06.2026 सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।
I.D.No.– UP05746

आज यह निर्णय खुल न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
दिनांकः01.06.2026 सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर।
I.D.No.– UP05746